जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल : : info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/4947 दिनांक : 24/01/2022

प्रेषक,

बालामुरूगन डी. भा.प्र.से.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका।

सेवा में,

सभी जिला परियोजना प्रबन्धक (जीविका)
बिहार।

विषय: **ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों के सर्वेक्षण के संबंध में।**

प्रसंग: **मुख्य सचिव, बिहार द्वारा ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों के सर्वेक्षण के संबंध में निर्गत पत्र संख्या -718440 दिनांक- 21/01/2022**

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के संबंध में सूचित करना है की बिहार राज्य के सभी जिलों में ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों का सर्वेक्षण 15 फरवरी 2022 तक पूर्ण किया जाना है।
सर्वेक्षण को ससमय पूर्ण करने एवं सर्वेक्षण कार्य में कार्यरत कर्मियों,जीविका सामुदायिक संगठनों को उचित सहयोग प्रदान करने हेतु निम्न निर्देश दिये जा रहे है :-

1. सर्वेक्षण कार्य के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों (जीविका) द्वारा संबन्धित जिलों में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा । इस समिति में संबन्धित जिला इकाई में कार्यरत प्रबन्धक-जीविकोपार्जन(Manager-Livelihood), प्रबन्धक-सामाजिक विकास(Manager-Social Development), प्रबन्धक-मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (Manager-M&E) एवं जिला नोडल- एस.जे.वाई. (SJY-Nodal) सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

2. जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यवेक्षकों एवं सर्वेक्षण दल का ससमय प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा एवं सर्वेक्षण का दैनिक अनुश्रवन किया जायेगा।

3. सर्वेक्षण कार्य को ससमय सुनिश्चित कराने हेतु संबन्धित प्रखंड मेंटर (Block-Mentor) का दायित्व होगा कि वे प्रखंड में किए जा रहे सर्वेक्षण से संबन्धित प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने में प्रखंड परियोजना प्रबन्धक-जीविका को सहयोग करेंगे।

4. प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक-जीविका द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सर्वेक्षण दल के गठन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। उनके द्वारा प्रत्येक सर्वेक्षण दल हेतु एक सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संसाधन सेवी (Community Resource Person) को नामित किया जायेगा। सभी प्रखंड स्तरीय कर्मी सर्वेक्षण कार्य में ग्राम संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे।

5. **मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक संख्या- 718440 दिनांक- 21.01.2022** के अनुसार मद्य निषेध को प्रभावी बनाने हेतु सभी जीविका संकुल संघों एवं ग्राम संगठनों द्वारा 8 से 15 फरवरी 2022 के दौरान विशेष जागरूकता अभियान का संचालन किया जाएगा। जिसकी रूप-रेखा इस प्रकार होगी :-

क) **परियोजना कर्मी एवं सामुदायिक सेवियों के स्तर पर**

- सभी जिला परियोजना इकाई एवं प्रखंड किर्यान्वयन इकाई में परियोजना कर्मियों एवं सभी संकुल संघ के कार्यालय में सामुदायिक सेवियों के साथ 8 फरवरी 2022 को एक दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं संकुल संघ तथा ग्राम संगठन स्तर पर अभियान की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा शराब एवं ताड़ी के सेवन नहीं करने हेतु शपथ लिया जाएगा। **" मैं और मेरा मेरा परिवार, अपने गाँव एवं कार्य क्षेत्र में मद्य निषेध को पूर्ण रूप से लागू कर उसे सशक्त,स्वच्छ और शराब मुक्त गाँव / कार्यालय बनाएंगे "**

ख) **संकुल संघ स्तर पर अभियान**

- सभी संकुल संघों में 9 से 11 फरवरी 2022 के दौरान एक दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन प्रखंड मेंटर (Block-Mentor) के उपस्थिति में किया जाएगा।
- बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा शराब एवं ताड़ी के सेवन नहीं करने हेतु शपथ लिया जाएगा । **" मैं और मेरा मेरा परिवार, अपने गाँव एवं कार्य क्षेत्र में मद्य निषेध को पूर्ण रूप से लागू कर उसे सशक्त,स्वच्छ और शराब मुक्त गाँव / कार्यालय बनाएंगे "**
- सभी ग्राम संगठनों में 11 से 14 फरवरी 2022 के दौरान विशेष बैठक का आयोजन प्रखंड मेंटर (Block-Mentor) के उपस्थिति में कराया जायेगा।
- देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन, अवैध बिक्री अथवा सेवन से संबन्धित व्यक्तियों तथा स्थान से संबन्धित सूचना प्रशासन को टोल फ्री नंबर–18003456268 अथवा 15545 पर दी जाएगी।
- देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन,अवैध बिक्री अथवा सेवन से संबन्धित व्यक्तियों की गुप्त सूची तैयार कर सबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखंड परियोजना प्रबंधक, प्रखंड के सभी संकुल स्तरीय संघों की सूची को संग्रहित कर सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधक को सौपेंगीं | सबंधित जिला परियोजना प्रबंधक समाहित गुप्त सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएगी | (अनुलग्नक-1-सूची प्रपत्र)

ग) **ग्राम संगठन स्तर पर अभियान**

- सभी ग्राम संगठनों में 11 से 14 फरवरी 2022 के दौरान प्रभात फेरी के माध्यम से जागरूकता के उपरांत एक दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन निम्न उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।
    - सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा शराब एवं ताड़ी के सेवन नहीं करने हेतु शपथ लिया जाएगा।

    " मैं और मेरा मेरा परिवार , अपने गाँव एवं कार्य क्षेत्र में मद्य निषेध को पूर्ण रूप से लागू कर उसे सशक्त,स्वच्छ और शराब मुक्त गाँव / कार्यालय बनाएँगे "

    - ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन अवैध बिक्री अथवा सेवन से संबन्धित व्यक्तियों तथा स्थान से संबन्धित सूचना प्रशासन को टोल फ्री नंबर–18003456268 अथवा 15545 पर दी जाएगी।
    - गाँव स्तर पर रैली/प्रभात फेरी तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हुये शराब/ताड़ी के दुष्प्रभाव के बारे में लोगो को बताते हुये शराबबंदी हेतु जन जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा।

सभी जीविका संकुल संघों एवं ग्राम संगठनों द्वारा 12 से 15 फरवरी 2022 के दौरान पुनः विशेष बैठक का आयोजन करते हुये पुनः उपरोक्त समीक्षा किया जाएगा।

घ) सर्वेक्षण कार्य हेतु व्यय और बजटीय प्रावधान

क्रम	विवरण	इकाई	अभियुक्ति
1.	पर्यवेक्षकों एवं सर्वेक्षण दल में शामिल सदस्यों का प्रशिक्षण	सभी प्रखंडों में	गैर आवासीय प्रशिक्षण बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा ।
2.	आवश्यक प्रारूपों/ स्टेशनरी की छपाई	अनुलग्न किए गए दस्तावेज़	बी.पी.आई.यू. के पास सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक प्रिंटिंग / फॉर्मेट के फोटो कॉपी और स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त रु 5000/- की राशि का प्रावधान होगा । इस व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत दर्ज किया जाएगा।
3.	सर्वेक्षण दल में शामिल जीविका प्रोत्साहित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संसाधन सेवी (Community Resource Person) का मानदेय	प्रति सदस्य	सर्वेक्षण दल में शामिल जीविका कैडर/सदस्य को जीविका के सी.आर.पी. पॉलिसी के अनुसार प्रतिदिन का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भुगतान पर हुआ व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के सी.आर.पी. ड्राइव हेड में बुक किया जाएगा ।

अनुलग्नक- यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन

24/01/2022

(बालामुरूगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

ज्ञापांक BRLPS/Prod-SJY/1552/19/Vol-III/4947 दिनांक : 24/01/2022

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग

24/01/2022

(बालामुरूगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

ज्ञापांक BRLPS/Prod-SJY/1522/19/Vol-III/4947 दिनांक : 24/01/2022

प्रतिलिपि- उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं मुख्य सचिव के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

24/01/2022

(बालामुरूगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

ज्ञापांक BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/4947 दिनांक : 24/01/2022

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

24/01/2022

(बालामुरूगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

ज्ञापांक BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/4947 दिनांक : 24/01/2022

अनुलग्नक -1

सूची का प्रपत्र

दिनांक :-

क्र सं	देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन,अवैध बिक्री अथवा सेवन से संबन्धित व्यक्ति का नाम	गाँव	प्रखंड	जिला
1				
2				
3				

हस्ताक्षर

अध्यक्ष संकुल संघ /प्रखंड परियोजना प्रबंधक/जिला परियोजना प्रबंधक

जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Ref: BRLPS/Proj-SD/870/15/936 Date: 09.07.2021

कार्यालय आदेश

मद्य-निषेध, शराबबंदी और नशा-मुक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

बिहार राज्य में वर्ष 2016 से शराबबन्दी कानून लागू है | इसे व्यावहारिक रूप दिये जाने तथा सफल बनाने की दिशा में जीविका के सामुदायिक संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है | जीविका की दीदियों द्वारा शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा उसके उपयोग पर निगरानी रखने की आवश्यकता है | इस दिशा में उत्पाद विभाग के अंतर्गत टोल फ्री नंबर-18003456268 / 15545 का प्रावधान किया गया है जिस पर ग्राम स्तर पर शराबबन्दी कानून के उल्लंघन का दृष्टांत पाए जाने पर दीदियाँ शिकायत दर्ज करा सकती हैं | यह स्पष्ट किया गया है कि दर्ज रिपोर्ट की ऐसी सूचना को सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा | प्रशासन द्वारा शराब के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों तथा शराबबन्दी से होने वाले फायदों का सभी स्तरों पर प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है | सतत प्रचार-प्रसार एवं कानूनी प्रक्रियाओं को दृढ़ता के साथ लागू किए जाने के उचित परिणाम भी प्राप्त हुए हैं | इस बात की भी आवश्यकता है कि जीविका से जुड़े सामुदायिक संगठन शराबबन्दी लागू करने वाले विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें | इस विषय में राज्य स्तर के सम्बंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर मद्य-निषेध को प्रभावी बनाने का निदेश है |

1. मद्य-निषेध अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने हेतु उपलब्ध टोल फ्री नंबर (18003456268/15545) पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की मानक-प्रणाली (SOP) की आवश्यकता है | इस हेतु SOP निर्माण का कार्य, जीविका संगठनों की सदस्यों, उत्पाद विभाग और जीविका के समन्वय से किया जाना है | समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रणाली में होने वाले बदलावों की सूचना भी जीविका समूह सदस्यों को उत्पाद विभाग और जीविका के समन्वय से उपलब्ध कराई जायेगी |
2. सामुदायिक संगठनों और सदस्यों द्वारा मद्य-निषेध से जुडी शिकायतों को उक्त टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया जायेगा | दर्ज शिकायतों पर उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में सामुदायिक संगठनों / सदस्यों द्वारा शिकायतों की संक्षिप्त विवरणी सामुदायिक या

क्षेत्रीय समन्वयक और प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक, जीविका को प्रेषित की जायेगी | स्वयं सहायता समूह/ ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ/ सदस्यों के स्तर से मद्य-निषेध नीति उल्लंघन से जुड़ी शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संलग्न प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक को प्रेषित किया जाएगा जिन्हें वे एकत्रित कर जिला परियोजना प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे |

3. जिला स्तर पर प्रेषित शिकायतों के सन्दर्भ में हुई कार्रवाई की विवरणी/ कार्यवाही की प्रतिलिपि प्राप्त कर जिला परियोजना प्रबन्धक सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे | प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक उक्त कार्रवाई की विवरणी/ कार्यवाही की प्रतिलिपि सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ की बैठक में सभी सदस्यों की जानकारी हेतु सुलभ कराएंगे |
4. राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (SPMU) के स्तर पर मद्य-निषेध नीति के उल्लंघन से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों और जिलों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु एक दल का गठन किया जाएगा | इस दल में सामाजिक विकास टीम और संचार टीम के राज्य स्तरीय प्रधान (Thematic Head), राज्य इकाई के युवा पेशेवर और जीविका संगठनों से 2 (दो) सक्रिय सदस्य होंगे | सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि जीविका की कार्यनीति के अनुरूप बदले जाते रहेंगे | राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर राज्य स्तरीय समिति की मासिक बैठक में चर्चा कर संकलित रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को प्रेषित की जाएगी तथा प्राप्त निदेश के अनुरूप, समुचित कार्रवाई की जायेगी |
5. सामुदायिक संगठनों की शिकायतों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में, प्रेषित शिकायतों की सूचना प्रखण्ड स्तर से जिला स्तर को दी जायेगी; जिला स्तर पर ऐसी शिकायतों की सूचना, राज्य-स्तर पर गठित दल को कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी |
6. जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धक (DPM) द्वारा प्रखंडों में मद्य-निषेध से जुड़े कार्यों की मासिक समीक्षा की जायेगी | जिला स्तर पर प्राप्त मद्य-निषेध विषयक शिकायतों, प्रखण्ड स्तर पर लंबित शिकायतों के निराकरण और जिला में मद्य-निषेध के लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण हेतु जिले में आयोजित होने वाली सभी बैठकों में शराबबंदी से जुड़े प्रयासों/ कार्यों पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जायेगी |
7. प्रखण्ड स्तर पर परियोजना कर्मी और कैडर / सामुदायिक संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के सहयोग से सामुदायिक संगठनों द्वारा मद्य-निषेध के कार्यों में सहयोग किया जाएगा| परियोजना कर्मी और कैडर प्रखण्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण और प्रखण्ड में मद्य-निषेध के लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण के कार्यों में सामुदायिक संगठनों को सहयोग करेंगे |
8. जिला स्तर पर कार्यरत प्रत्येक प्रबन्धक/ प्रत्येक प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक माह में कम-से-कम एक संकुल स्तरीय संघ एवं दो ग्राम संगठनों की बैठक में अन्य कार्यों के साथ

शराबबन्दी पर चर्चा करेंगे तथा समय-समय पर क्षेत्र - भ्रमण कर प्रखण्ड स्तर पर मद्य-निषेध अंतर्गत किये जा रहे कार्यों/ प्रयासों में सहयोग करने के अतिरिक्त संगठनों की शराबबन्दी से सम्बंधित रिपोर्ट जिला को प्रेषित करेंगे |

9. यदि किसी प्रखण्ड द्वारा एक माह में मद्य-निषेध अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हो, तो वहां के संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन एवं समूहों में मद्य-निषेध प्रावधानों के अंतर्गत बैठकों में सदस्यों को पूर्ण मद्य-निषेध हेतु प्रेरित किया जाएगा और सभी सम्बंधित व्यक्तियों को सतर्कता को सघन करने हेतु कहा जाएगा |
10. समय-समय पर, सामुदायिक संगठनों और उनसे जुड़े सदस्यों के प्रोत्साहन एवं उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, अच्छा कार्य करने वाली दीदियों/ संगठनों को सम्मानित किया जाएगा |

जीविका के सामुदायिक संगठनों एवं परियोजना कर्मियों द्वारा पूर्ण मद्य-निषेध अभियान हेतु कार्य-योजना निम्नानुसार होगी :-

1. स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों के स्तरों पर मद्य-निषेध नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने हेतु दीदियों द्वारा अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री/ भण्डारण/ निर्माण पर सतत निगरानी रखनी होगी | सभी सामुदायिक संगठनों की बैठकों में सामजिक परिवर्तन (मद्य-निषेध से जुड़े) के एजेंडा के तहत चर्चा की जायेगी | चर्चा में शराबबंदी से समाज में आए सकारात्मक बदलाव; महिलाओं से जुडी हिंसा के मामलों में आयी कमी; बच्चों के साथ पारिवारिक सद्भाव बढ़ने से सकारात्मक सोच/ समझ का विकास प्रमुख बिंदु हो सकते हैं | इससे ग्राम-स्तर पर शराब बिक्री पर रोक लगाने की कार्यनीति पर सामुदायिक संगठनों की समझ विकसित हो सकेगी |

   *पूर्ण और प्रभावी मद्य-निषेध और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु, समूह एवं सदस्य अपनी प्रतिबद्धता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने हेतु निम्न वाक्य को अपने परिचय में जोड़ कर, अपना परिचय देंगे, " **मैं और मेरा परिवार, अपने गाँव एवं कार्यक्षेत्र में मद्य-निषेध को पूर्ण रूप से लागू कर उसे सशक्त, स्वच्छ और शराब मुक्त गाँव/ कार्यालय बनाएंगे |** "*

   यह प्रक्रिया, जीविका के प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों के कैडर/ कर्मियों की बैठक एवं प्रशिक्षण में भी कैडर/ कर्मियों द्वारा अनिवार्य रूप से व्यवहार में लाने हेतु, अपने परिचय के दौरान प्रयोग में लायी जाएगी |

2. संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन द्वारा मद्य-निषेध नीति पर चर्चा कर शराब/ नशे से जुड़े दुष्प्रभावों एवं नशा-मुक्ति/ शराबबंदी से होने वाले फायदों पर चर्चा की जाएगी |

शराबबंदी हेतु जागरूकता अभियान चलाने अथवा देशी शराब/ विदेशी शराब एवं ताड़ी के उपभोग/ भण्डारण/ निर्माण की गतिविधियों के सन्दर्भ में टोल फ्री नंबर 18003456268/ 15545 पर सूचना देने की प्रक्रिया पर भी समूह सदस्यों को जानकारी दी जाएगी |

3. संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन अंतर्गत गठित सामाजिक कार्य समिति (SAC) को निगरानी समिति के रूप में नामित कर संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन स्तर पर समूह सदस्यों को पूर्ण मद्य-निषेध नीति से अवगत कराया जाएगा | देशी शराब/ विदेशी शराब एवं ताड़ी भण्डारण/ निर्माण/ बिक्री कार्य से जुड़े परिवारों को चिह्नित कर उनके साथ भी पंचायत स्तर पर मद्य-निषेध नीति पर चर्चा कर नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्ति/ शराबबंदी के फायदों पर चर्चा एवं सदस्यों में पूर्ण शराबबंदी हेतु सकारात्मकता बनाये रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा |
4. सामुदायिक संगठनों के स्तरों पर मद्य-निषेध हेतु आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में क्षेत्र में मद्य-निषेध नीति के लागू कराने में आ रही समस्या और जुड़ी शिकायतों/ समस्याओं पर चर्चा की जायेगी | बैठकों की चर्चा को कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज कर, प्राप्त शिकायतों को साप्ताहिक रूप से अद्यतन और संकलित कर क्षेत्रीय समन्वयक और प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा |
5. पूर्व में देशी शराब/ विदेशी शराब / ताड़ी से जुड़े परिवारों को जीविका समूह से (अगर पूर्व से जुड़े न हों तो) जोड़ने का प्रयास किया जाएगा | उपयुक्त परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना (SJY) अथवा अन्य योजनाओं से आच्छादित किया जा सकता है |
6. संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन द्वारा ताड़ी/ शराब के कार्य से जुड़े परिवारों का जीविकोपार्जन के वैकल्पिक साधनों से जुड़ाव हेतु चर्चा और मार्गदर्शन कर उन्हें तदनुसार उत्प्रेरित किया जाएगा |
7. सामुदायिक संगठनों के कार्यालयों में मद्य-निषेध प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन किया जाएगा | टोल फ्री नंबर-18003456268/ 15545 का लेखांकन सभी सामुदायिक संगठनों के स्तर पर संधारित रिकॉर्ड बुक, रजिस्टर और अन्य बूक्स (BoR) के प्रथम पृष्ठ/ कवर पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा | उत्पाद टोल फ्री नंबर-18003456268/ 15545 पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और इसकी गोपनीयता की जानकारी और जागरूकता विशेष रूप से ,सभी सदस्यों तक पहुंचायी जायेगी |
8. सामुदायिक संगठनों और सामुदायिक सहयोगियों की विभिन्न बैठकों एवं प्रशिक्षण में शराबबंदी पर सदस्यों के बीच चर्चा की जायेगी और उत्पाद टोल फ्री नंबर-18003456268/ 15545 की जानकारी भी दी जायेगी |
9. सामुदायिक संगठनों में निगरानी समिति (सामाजिक कार्य समिति - SAC) द्वारा मद्य मद्य-निषेध के कार्यों पर विशेष चर्चा की जायगी, जिससे सदस्यों में, पूर्ण और प्रभावी शराबबंदी और निगरानी से सम्बंधित, आवश्यक विश्वास पुनः स्थापित हो |

10. ऐसे सदस्य, जिनके परिवार शराब - बिक्री/ सेवन/ भण्डारण इत्यादि से जुड़े हों और लगातार प्रयास के बाद भी शराब बिक्री/ सेवन/ भण्डारण इत्यादि कार्य नहीं छोड़ रहे हों, उन्हें समूह द्वारा चिह्नित किया जाएगा | समूह स्तर पर ऐसे सदस्यों के साथ चर्चा एवं, समुपदेशन कर एक माह का समय तथा शराब - बिक्री/ सेवन/ भण्डारण इत्यादि विषयक कार्य छोड़ने और जीविकोपार्जन के अन्य साधनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा | ऐसा निर्णय परियोजना कर्मियों के शराब सेवन में संलिप्त पाये जाने पर भी किया जायेगा | इसके बावजूद उन में सुधार न होने पर समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी |

शराबबन्दी को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए मद्य-निषेध की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामुदायिक संगठनों और सदस्यों को पुरस्कृत/ सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तावित किया जाएगा | प्रत्येक त्रैमास पर प्रस्तावित संगठनों और सदस्यों को उनके कार्यों के लिए जिला प्रशासन और जीविका के समन्वय से जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा |

जिला स्तर पर कार्यरत प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं प्रबंधक-संचार द्वारा शराबबन्दी से सम्बंधित विडियो/ फिल्म/ गीत; शराबबन्दी लागू होने से परिवार, ग्राम संगठन एवं पंचायत स्तर पर परिलक्षित होने वाले बदलावों को दर्शाने; प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार/ चर्चा कर सामुदायिक संगठनों के स्तर पर सदस्यों को शराबबन्दी के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रेरित किया जाएगा | शराबबन्दी से सम्बंधित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन समस्त कैडर/ ग्राम संसाधन सेवी/ SAC सदस्य द्वारा ग्राम और संगठन स्तर पर किया जाएगा | उक्त कार्य करने के एवज में समस्त कैडर/ ग्राम संसाधन सेवी/ SAC सदस्य को जीविका आतंरिक सि.आर.पि. मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है |

अनुलग्नक:

1. साप्ताहिक प्रखण्ड स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट प्रपत्र
2. पाक्षिक जिला स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट प्रपत्र

05/07/2021

(बालामुरुगन डी0)

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक:BRLPS/Proj-SD/870/15/936 दिनांक: 09.07.2021

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2021

(बालामुरुगन डी0)

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक:BRLPS/Proj-SD/870/15/936 दिनांक: 09.07.2021

प्रतिलिपि: सभी पुलिस अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2021

(बालामुरुगन डी0)

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक:BRLPS/Proj-SD/870/15/936 दिनांक: 09.07.2021

प्रतिलिपि: निदेशक/ सभी परियोजना समन्वयक/ सभी राज्य परियोजना प्रबन्धक/ सभी जिला परियोजना प्रबन्धक/ प्रबन्धक-सामाजिक विकास/ प्रबन्धक-संचार / विषयगत प्रबन्धक/ सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2021

(बालामुरुगन डी0)

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

अनुलग्नक 1

प्रखण्ड स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट : साप्ताहिक

जिला:				प्रखण्ड:		पंचायत:		
तिथि:		माह:		प्राप्त शिकायतों की संख्या (कुल):		निष्पादित शिकायतों की संख्या:		
सप्ताह:1/2/3/4/5						लंबित शिकायतों की संख्या:		
क्र. सं.	शिकायत-कर्ता का नाम	टोला का नाम और संख्या	ग्राम संगठन का नाम	ग्राम का नाम	शिकायत का प्रकार (शराब-सेवन/ बिक्री/ भण्डारण/ निर्माण/ इत्यादि)	किसके विरुद्ध शिकायत की गई है ?	क्या टोल फ्री नंबर पर शिकायत की गई है ? (हाँ/ नही/ टोल फ्री न. पर कॉल नही उठाया गया)	यदि किसी स्तर (थाना/ पंचायत/ प्रखण्ड) पर शिकायत लेने से मना किया गया है?

अनुलग्नक 2

जिला स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट (पाक्षिक/ प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर)

जिला:		तिथि:		माह:		सप्ताह: 1/2/3/4/5			
प्राप्त शिकायतों कुल संख्या:			निष्पादित शिकायतों की संख्या:			लंबित शिकायतों की संख्या:			
क्र. सं.	प्रखण्ड का नाम	टोला का नाम और संख्या	ग्राम संगठन का नाम	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार (शराब-सेवन/ बिक्री/ भण्डारण/ निर्माण/ इत्यादि)	किसके विरुद्ध शिकायत की गई है ?	क्या टोल फ्री नंबर पर शिकायत की गई है ? (हाँ/ नही/ टोल फ्री न. पर कॉल नही उठाया गया)	यदि किसी स्तर (थाना/ पंचायत/ प्रखण्ड) पर शिकायत लेने से मना किया गया है?

(सर्वेक्षण प्रपत्र- क)

ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से संबन्धित परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली

1) मूलभूत जानकारी

सर्वेक्षण का तारीख	
परिवार के मुखिया का नाम	
गाँव का नाम	
वार्ड संख्या	
पंचायत का नाम	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	
क्या परिवार के सदस्य पारम्परिक रूप से ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में जुड़े थे ?	(हाँ).....

उत्तरदाता के बारे में जानकारी

2) उत्तरदाता का नाम :_____

3) उत्तरदाता की आयु :_____

4) उत्तरदाता का लिंग :
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

पुरुष		महिला		अन्य	

5) परिवारों के सदस्यों की संख्या:

व्यस्क पुरुष		व्यस्क महिला		बच्चे	लड़का:
					लड़की:

6) परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	

7) पारिवारिक विवरणी :

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम (बड़े से छोटे उम्र के क्रम में)	आयु	व्यवसाय	मासिक आय	टिप्पणियां

8) परिवार कोटि : अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जन जाति (ST) ☐ पिछड़ा जाति (BC) ☐

अत्यंत पिछड़ा जाति(EBC) ☐ अल्पसंख्यक (Minority) ☐ सामान्य (Gen.) ☐

सर्वेक्षक का नाम	सर्वेक्षक का हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम : .....

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर एवं दिनांक : .....